

विधि एवं विधिक कार्य विभाग
अधिसूचना
जयपुर, जून 05, 2020

क्रमांक:-प.1(3)न्याय/2010

इस विभाग द्वारा जारी पूर्व अधिसूचना क्रमांक प.2(1)न्याय/2017 दिनांक 30.08.2017 में आंशिक संशोधन करते हुए, द राइट्स ऑफ परसन्स विद डिसएबीलिटी एक्ट, 2016 की धारा 84 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय की सहमति से, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों के त्वरित विचारण हेतु जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम तथा जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-द्वितीय के न्यायालयों को अपनी-अपनी क्षेत्रीय सीमाओं में अधिकारिता वाला विशिष्ट न्यायालय विनिर्दिष्ट करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव